

कार्यालय-क्षेत्रीय वनाधिकारी, बामौर (गरौठा)

पत्रांक- 101 / 15-1, दिनांक: गरौठा, फरवरी-09-2022।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

विषय-: जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन सला ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु संयुक्त जांच आख्या प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-: आपका कार्यालय पत्रांक 2166/15-1, दिनांक 24.01.2022।
महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में सला ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु बामौर रेंज के अन्तर्गत पाइप लाइन के संरेखण में डिकौली वन ब्लॉक की वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 01.02.2022 को श्री के० रवि कुमार सहायक प्रोजेक्ट मैनेजर (जी०बी०पी०आर०) इंजीनियर्स लिमिटेड हैदराबाद के साथ श्री ध्रुवराम यादव वन दरोगा व मेरे द्वारा किया गया। पाइप लाइन बिछाने से डिकौली वन ब्लॉक की 0.75 हे० आरक्षित वन भूमि व पूछ-एरच-मऊ मार्ग की किमी० सं० 31 व 32 के मध्य 0.006 हे० संरक्षित वन भूमि, कुल 0.756 हे० वन भूमि प्रभावित होगी तथा 20 पेड़ बाधक होंगे। संयुक्त जांच आख्या संलग्न है।

अतः संयुक्त जांच आख्या श्रीमान् जी की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-: उपरोक्तानुसार

(के० रवि कुमार)
सहायक प्रोजेक्ट मैनेजर
जी०बी०पी०आर०
इंजीनियर्स लिमिटेड हैदराबाद

(ध्रुवराम यादव)
वनदरोगा
सेक्शन अधिकारी, एरच
रेंज-बामौर

भवदीय
(स्वामीदीन)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
बामौर (गरौठा)
बामौर (झांसी)

Mr. A.K. Gupta
Executive Engineer
Orai, Division, UP Jal Nigam
Gramin, Orai (U.P.)

(डी.एन. सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

गोश्वारा

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अर्न्तगत निर्माणाधीन सला ग्राम समूह पेयजल योजना के अर्न्तत पाइप लाइन बिछाये जाने में बाधित डिकौली आरक्षित वन ब्लाक में पड़ने वाले वृक्षों की मूल्यांकन सूची व प्रभावित आरक्षित वन भूमि का विवरण, जी०पी०एस० रीडिंग।

क्र०सं०	प्रभावित आरक्षित वन ब्लाक का नाम	प्रभावित आरक्षित वन भूमि का क्षेत्र० (हे० में)	प्रजाति	वनस्पतिक नाम	व्यास श्रेणी				योग
					0-30	31-60	61-90	90-120	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	डिकौली वन ब्लाक	2500.00 X 3.00mtr. =7500 Square mtr. =0.75 hect.	हिंगोटा	बोलोनाइटिस इजिप्टिका	16	1	0	0	17
2	पूछ-गुरसराय-मऊ मार्ग कि०मी० सं० 31 व 32 के मध्य (संरक्षित वन भूमि)	प्रभावित संरक्षित वन भूमि का क्षेत्र० (हे० में) 30.00 X 2.00mtr. = 60 Square mtr. =0.006 hect.	बिलाग्रती वन्यूल	जोसेफिस प्लेफलोरा	3	0	0	0	3
	कुल योग	0.756 hect.			19	1	0	0	20

प्रभागीय वनाधिकारी
झाँसी वन प्रभाग, झाँसी



Mr. A.K. Gupta
Executive Engineer
Orai, Division, UP Jal Nigam
Gramin, Orai (U.P.)

क्षेत्रीय वन अधिकारी
झाँसी (झाँसी)

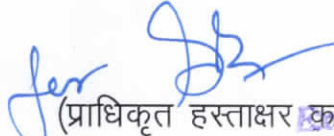
मूल्यांकन करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर

वैकल्पिक भूमि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

जनपद-झांसी के अन्तर्गत प्रस्तावक विभाग राज्य पेयजल व स्वच्छता मिशन द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल पाइप लाइन बिछाने हेतु सला ग्राम समूह पेयजल योजना जिला-झांसी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेयजल पाइप लाइन बिछाने से प्रभावित 0.006 हे० संरक्षित वन भूमि व 0.75 हे० आरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य का किया जाना प्रस्तावित है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित पेयजल पाइप लाइन बिछाने के कार्य से प्रभावित वन भूमि के अलावा कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की माँग न्यूनतम है।


 (J. K. सिंह)
 प्रभागीय वनाधिकारी
 प्रभागीय वनाधिकारी
 जल प्रभाग, झांसी


 (प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)
 (P. K. Singh, J. K. Singh)
 उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उरई